[2018] 9 एससीआर 499

संतोष देवी और अन्य।

बनाम

महावीर सिंह और अन्य। (2018 की सिविल अपील संख्या 7279) 09 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम। खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धारा 166 – 1992 में मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु – अपीलकर्ताओं का दावा है कि मृतक देसी घी और नमकिन भुजिया बेचने के व्यवसाय में था और उसकी मासिक आय 3,500 रुपये थी – ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय 1,200 रुपये प्रति माह आंकी और 1,15,200 रुपये प्रति माह का गुणक लागू करने के बाद मुआवजे के रूप में 1,15,200 रुपये का आदेश दिया – उच्च न्यायालय ने 15 का गुणक लागू किया और 15,000 रुपये का मुआवजा दिया। न्यायालय द्वारा 1,200/– रुपये प्रति माह की दर से आय का आकलन निचले पक्ष में है – व्यवसाय की प्रकृति, दुर्घटना की तारीख और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आय का आकलन 2,500/– रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए था – मृतक की आयु 38 वर्ष थी, इसलिए, सही गुणक 16 होगा – इसके अलावा, प्रणय सेठी मामले में संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 40% की राशि भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ी जाती है – मुआवजे की पुनर्गणना – अपीलकर्ता 5,23,000 रुपये के हकदार हैं। व्यक्ति की मौत तब हुई जब उसकी मोपेड को पहले प्रतिवादी द्वारा चलाई जा रही जीप ने टक्कर मार दी। अपीलकर्ताओं, मृतक की पत्नी और बच्चों ने दावा किया कि उसकी मासिक आय 3,500 रुपये थी। ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय 1,200 रुपये प्रति माह आंकी और 12 के गुणक को लागू करने के बाद मुआवजे के रूप में 1,15,200 रुपये दिए। उच्च न्यायालय ने 15 का गुणक लागू किया और मुआवजे को बढ़ाकर 1,85,000 रुपये कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 एमएसीटी द्वारा 1,200 रुपये प्रति माह की आय का आकलन निचले स्तर पर था। व्यवसाय की प्रकृति, दुर्घटना की तारीख और उच्चतम न्यायालय की सभी 499 रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आय का आकलन 2,500/– रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियां। मृतक की आयु 38 वर्ष थी और इसलिए सही गुणक 16 होगा। प्रणय सेठी मामले में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की राशि जोड़े जाने की जरूरत है। तदनुसार, मुआवजे की पुनर्गणना राशि याचिका की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 5,23,000/– रुपये है। [पैरा 6, 7] [501–ई–एफ; 502–सी] नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680: 2017 (13) स्केल 12 – इसके बाद।

केस लॉ रेफरेंस 2017 (13) स्केल 12 ने पैरा 6 सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 7279 का अनुसरण किया।1995 के एफएओ संख्या 740 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2016 के निर्णय और आदेश से। अपीलकर्ताओं के वकील आंचल आनंद, देवेंद्र सिंह। न्यायालय का निर्णय डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था। वर्तमान अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हिसार के फैसले के खिलाफ पहली अपील में दायर की गई थी।

2. अपीलकर्ता पूरनचंद की पत्नी और बच्चे हैं, जो 30 दिसंबर 1992 को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। एक सरकारी जीप, जिस पर पंजीकरण संख्या अंकित है। एचवाईएच–100 ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर था। एचआर–20–ए–7236। पूरन चंद को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ताओं ने एमएसीटी के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की, जिसमें 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई। एमएसीटी ने पाया कि जीप को सड़क के गलत तरफ पहले प्रतिवादी द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था। मौत के समय मृतक की उम्र 38 साल थी और वह देसी घी और नामकिनभुजिया बेचने का कारोबार करता था। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि मृतक की मासिक आय 3,500 रुपये थी। हालांकि, एमएसीटी ने माना कि मृतक एक छोटे से गांव में काम कर रहा था; उनकी दुकान संतोष देवी और ओआरएस। वी. महावीर सिंह और अन्य। [डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति] उनका कोई नाम नहीं था; वह कर का भुगतान नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी आय 1,200 रुपये प्रति माह आंकी गई थी। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को 12 के गुणक को लागू करने के बाद 1,15,200 रुपये की राशि प्रदान की गई, जिसमें 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल था।

3. अपील में, उच्च न्यायालय ने 15 का गुणक लागू किया और मुआवजे को बढ़ाकर 1,85,000 रुपये कर दिया। हालांकि, ब्याज को घटाकर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया था।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी: उच्च न्यायालय को 16 का गुणक लागू करना चाहिए था क्योंकि मृतक की उम्र 38 वर्ष थी;

i. उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत खर्चों के लिए 10% से अधिक की कटौती नहीं करनी चाहिए थी;
ii. उच्च न्यायालय और एमएसीटी ने मृतक की आय 1,200 रुपये प्रति माह निर्धारित करने में गलती की, जबकि मृतक प्रति माह 3,500 रुपये कमा रहा था, जिसमें से 3,000 रुपये की राशि घरेलू व्यय के लिए खर्च की जा रही थी; तदनुसार, अपीलकर्ताओं को 16,34,600 रुपये की राशि दी जानी चाहिए थी।

5. रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि एमएसीटी द्वारा 1,200 रुपये प्रति माह की आय का आकलन निचले स्तर पर है। वास्तविक दृष्टिकोण अपनाते हुए, व्यवसाय की प्रकृति, दुर्घटना की तारीख और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आय का आकलन 2,500 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए था। मृतक की आयु 38 वर्ष थी और इसलिए सही गुणक 16 होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत राशि जोड़े जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, मुआवजे की मात्रा की पुनर्गणना निम्नानुसार की जाती है: – मासिक आय : 2,500 रुपये – वार्षिक आय: 30,000 रुपये – व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती : 10,000 रुपये – शुद्ध वार्षिक आय: 20,000 रुपये (2017) 16 एससीसी 680 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 9 एससीआर – 40% पर भविष्य की संभावनाएं : 8,000 रुपये – कुल आय : 28,000 रुपये + गुणक : 16 – निर्भरता के नुकसान के लिए कुल मुआवजा: 4,48,000 रुपये – प्रणय सेठी के संदर्भ में पारंपरिक प्रमुखों के लिए वृद्धि: 75,000 रुपये – कुल मुआवजा: 5,23,000 रुपये

6. अपीलकर्ता याचिका की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

7. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे के द्वारा अपील को स्वीकार किया गया।

Digitally signed by Abhishek Kumar Chaturvedi
Date: 2023.10.25 13:40:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court